



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2022 ई0

आषाढ़ 30, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 191/XXXVI (3)/2022/36(1)/2022

देहरादून, 21 जुलाई, 2022

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022’ पर दिनांक 20 जुलाई, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 06 वर्ष, 2022 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | |
|---------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| धारा 15 में संशोधन | 2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016, (जिसे इसमें इसको पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), में धारा 15 की उपधारा (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
“(4) समस्त आवासीय भवन, जो बारह मीटर या इससे ऊँचे हैं तथा औद्योगिक/व्यावसायिक (कवर्ड एरिया 500 वर्ग मीटर से अधिक हो) अधिष्ठान हैं और विस्फोटक, तीव्र ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण अथवा उपयोग करते हैं, को उप निदेशक (तकनीकी) या मुख्य अग्निशमन अधिकारी, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, अग्निशमन अधिकारी/नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र उप निदेशक (तकनीकी) के अनुमोदनोपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।” |
| धारा 18 का संशोधन | 3. मूल अधिनियम की धारा 18 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :- |

“बारह मीटर से अधिक ऊँचाई तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक कवर्ड एरिया वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हो या परिनिर्माणाधीन हो, जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दौर्बल्य से पीड़ित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या वयोवृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरोध, जिसमें अंतःवासी की स्वतंत्रता निर्बन्धित हो, दुकान, बाजार, शयनवास, होटल या किराये के लिए सुसज्जित कमरों वाले मकान, शैक्षिक संस्थान, सभा भवनों, जहाँ जन समुदाय मनोरंजन, आमोद, सामाजिक, धार्मिक, देश-प्रेम सम्बन्धी नागरिक यात्राओं या तत्समय प्रयोजनों के लिये इकट्ठा या एकत्रित होना सम्भावित हो, के लिए योजना प्रस्तुत की जाएगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यावहारिक रूप से युक्तियुक्त रूप से प्राप्य है और प्राप्त की जा सकती है।”

व्यावृत्ति

4. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या: 02 वर्ष, 2022) के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,
हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा 15(4) एवं धारा 18 में वर्णित भवनों की ऊँचाई एवं कवर्ड एरिया तथा उत्तराखण्ड राज्य में लागू आवास विभाग के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित भवनों की ऊँचाई एवं कवर्ड एरिया में भिन्नता होने के कारण अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति निर्गत किये जाने में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

No. 191/XXXVI(3)/2022/36(1)/2022

Dated Dehradun, July 21, 2022

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Fire & Emergency Service, Fire Prevention and Fire Safety (Amendment) Act, 2022' (Act No. 06 of 2022).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 20 July, 2022.

**The Uttarakhand Fire & Emergency Service, Fire Prevention and Fire Safety
(Amendment) Act, 2022**
(Uttarakhand Act No. 06 of 2022)

An

Act

further to amend the Uttarakhand Fire & Emergency Service, Fire Prevention and Fire Safety Act, 2016,

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Seventy third Year of the Republic of India, as follows:-

**Short title and
Commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Fire & Emergency Service, Fire Prevention and Fire Safety (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

**Amendment in
Section 15**

2. In the Uttarakhand Fire & Emergency Service, Fire Prevention and Fire Safety Act, 2016 (hereinafter referred to as the principal Act), sub section(4) of section 15 shall be substituted as follows, namely-

“(4) All residential building of twelve meters and above height and industrial /commercial (covered area . above 500 sq. meters) establishments dealing with storage or using

Amendment of
Section 18

explosive and highly inflammable substances shall require no objection certificate from the Deputy Director(Technical) or Chief Fire Officer, as the case may be, on the basis of recommendation of Fire Station Officer / Nominated authority, no objection certificate shall be issued by the Chief Fire Officer after approval of Deputy Director(Technical)."

3. Section 18 of the principal Act shall be substituted as follows, namely-

"Every building above twelve meters in height and covered area above 500 sq.meters whether existing or to be erected ,which is likely to be used for a purpose such as medical or other treatment or care of persons suffering from physical or mental illness, diseases or infirmity, case of infants, convalescents or aged persons or for penal or correctional detention in which the liberty of inmates is restricted, shop, market, dormitory, hotel or rooming house, educational institution, assembly building where group of people congregate or gather for amusement, recreation, social, religious, patriotic related civil travels or for a similar purposes shall submit plan and obtain a permission from prescribed authority of the State Government that safety from fire is reasonable attainable in practical and may be achieved."

Savings

4. Anything done or any action taken under the Uttarakhand Fire & Emergency Service, Fire Prevention and Fire Safety (Amendment) Ordinance, 2022 (Uttarakhand Ordinance No. 2 of 2022), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,
HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of Objectives and reasons

Due to variation in height and covered area of buildings mentioned in section 15(4) and section 18 of Uttarakhand Fire and Emergency Service, Fire Prevention and Fire Protection Act, 2016 and in the Building Construction and development bye-laws of Housing Department applicable in the state of Uttarakhand, practical difficulties are faced in issuing fire safety clearances. Amendment in aforesaid Act is proposed.

The proposed Bill fulfills the said objectives.

Pushkar Singh Dhami
Chief minister